आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या–224229 (उ0प्र)
Acharya Narendra Deva University of Agriculture & Technology
Kumarganj, Ayodhya-224229 (U.P.)

पत्रांक ए.एन.डी.यू.ए.टी.–7/लेखा/अधिकारों के प्रतिनिधायन/2026/— दिनांक 29-09-2026

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय–ज्ञाप सं0– 1070 दिनांक– 06.08.2026 द्वारा विश्वविद्यालय में लागू वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन (Delegation of Power) के सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को स्थगित करते हुए विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाता, सह–अधिष्ठाता, निदेशक, विभागाध्यक्ष, केन्द्राध्यक्ष, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक एवं अन्य सक्षम अधिकारियों को मात्र रू0 2000/– (दो हजार मात्र) के व्यय की स्वीकृति हेतु अधिकृत किया गया था।

उक्त व्यय स्वीकृत की सीमा को अंशिक रूप सें निम्नानुसार संशोधित किया जाता है–

कमांक	अधिकारी, जिन्हे वित्तीय अधिकार प्रदत्त किया जा रहा है का पद नाम	वित्तीय अधिकार की सीमा (धनराशि रूपये में)
1.	कुलसचिव	20,000/–
2.	वित्त नियंत्रक	20,000/–
3.	निदेशक, प्रशासन एवं परीविक्षण	20,000/–
4.	अधिष्ठाता	10,000/–
5.	निदेशक, कृषि प्रयोग केन्द्र	10,000/–
6.	निदेशक प्रसार	10,000/–
7.	वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र	3000/–
8.	प्रभारी अधिकारी	3000/–

उपरोक्त के अतिरिक्त शेष अन्य सक्षम अधिकारियों को मात्र रू0 2000/– के व्यय की स्वीकृति हेतु अधिकार प्राप्त होगे।

अतः उक्तानुसार समस्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेगे, कि उक्त निर्देश का अक्षरशः अनुपालन किया जाय, कोई भी वित्तीय अनियमित्ता पाये जाने पर इसे गम्भीर कदाचार मानते हुए सम्बिन्धित के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी।

उक्त कार्यालय ज्ञाप तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं अग्रिम आदेश जारी होने तक प्रभावी रहेगा।

ह0/–

(ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह)
कुलपति

पत्रांक ए.एन.डी.यू.ए.टी.–7/लेखा /अधिकारों के प्रतिनिधायन/2026/1538 तद्दिनांक
उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ विभागों/केन्द्रों पर अनुपालन सुनिश्चित करायें।
2. निदेशक, आई.क्यू.ए.सी. सेल।
3. अध्यक्ष, कोआर्डिनेशन सेल।
4. वित्त नियंत्रक।

5. पुस्तकालयाध्यक्ष।
6. अधिशाषी अभियन्ता(सिविल), निर्माण निदेशालय।
7. प्रभारी अधिकारी, चिकित्सालय/वाहन/सम्पत्ति/सुरक्षा अनुभाग।
8. उपभण्डार क्रय अधिकारी, केन्द्रीय क्रय भण्डार।
9. विभागाध्यक्ष, सांख्यिकी विभाग को इस आशय से कि उक्त कार्यालय–ज्ञाप विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करायें।
10. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल।

29.09.2024

(सुशान्त श्रीवास्तव)
निदेशक
प्रशासन एवं परिवीक्षण